(वाद सं0.–495/4/26/2023)

03.08.2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, रंजीत कुमार, के 05 वर्षीय पुत्र, अंकित कुमार, के आंगनबाड़ी केन्द्र में पढ़ने के बाद लौटते समय आंगनबाड़ी केन्द्र के बगल में स्थित बिजली के लोहा के पोल से सट जाने से विधुत स्पर्शाधात से हुई मृत्यु से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना** के **उप महाप्रबंधक (मा0स0)** द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परिवादी की पत्नी(मृत्तक की माँ), सोनी कुमारी, को चार लाख रूपया का अनुग्रह अनुदान का भुगतान कर दिया गया है।

उपरोक्त पर परिवादी से इस निर्देश के साथ प्रत्युत्तर की मांग की गई कि अगर उनकी ओर से **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना** के प्रतिवेदन का प्रत्युत्तर ससमय दाखिल नहीं किया जाता है तो उक्त प्रतिवेदन के आलोक में मामले को संचिकास्त कर दिया जायेगा।

परिवादी की ओर से उक्त प्रतिवेदन पर प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया।

अब जबकि परिवादी के पुत्र के विधुत स्पर्शाधात से हुई मृत्यु पर मृत्तक की माता को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना** के द्वारा किया जा चुका है तथा इस संबंध में

एक **UD case no. 25/2022, दिनांक–21.07.2022** संस्थित किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **उप महाप्रबंधक (मा0स0)साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी**

लिमिटेड, पटना के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **उप महाप्रबंधक (मा0स0)साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ–31–27/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>उप सचिव</u>